प्रश्न सं. [क्र. 2930]

परिशिष्ट "अ"
प्र.क्र. 2930

109. अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जायगी.- कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित (........) विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप में या लिखित में करेगा, और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिये लिखित अभिस्वीकृति रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में तत्काल देगा:

परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो या अन्यथा निरर्हित हो तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी सम्पत्ति का भारसाधक हो, पटवारी को ऐसी रिपोर्ट करेगा

स्पष्टीकरण एक.- उपर वर्णित किये गये अधिकार के अन्तर्गत कोई सुखाचार या सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम ,1882 (1882 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 100 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकारण का कोई भार, जो बन्धक की कोटि में नहीं आता है, नहीं है

स्पष्टीकरण दो.- कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके कि पक्ष में किसी बन्धक का मोचन हो जाय या भुगतान कर दिया जाय किसी पट्टे का पर्यावसान हो जाय ,इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अधिकार अर्जित करता है

स्पष्टीकरण तीन.- इस अध्याय के प्रयोजन के लिये शब्द "पटवारी " के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अध्याय के अधीन पटवारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया हो।

स्पष्टीकरण चार.- इस धारा के अधीन पटवारी को दी जाने के लिये अपेक्षित लिखित प्रज्ञापना या तो संदेशवाहक की मार्फत दी जा सकेगी या व्यक्तिश: सौंपी जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, अपने द्वारा ऐसे अधिकारों के अर्जन की लिखित रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर तहसीलदार को भी कर सकेगा

110 क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामान्तरण .- (1) पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आए, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिये विहित किया गया है।

(2) पटवारी अधिकार -अर्जन सम्बन्धी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुए हों, उन रिपोर्टों के उसे प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को जो कि उसे नामान्तरण में हितबद्ध प्रतीत होते हों, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किये जाएं।

अ[illegible] अधिकारी,
[illegible]-5) विभाग
म० प्र० शासन

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् क्षेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

111. सिविल न्यायाधीशों की अधिकारिता.- सिविल न्यायालयों को, किसी भी ऐसे अधिकार से, जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता होगी जिसमें राज्य सरकार न हो।

112. अन्तरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना .— जब कोई ऐसी दस्तावेज, जिसके द्वारा किसी ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है, या जिसके कि संबंध में क्षेत्र पुस्तक तैयार की जा चुकी है, के संबंध में कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वाचित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का संख्यांक 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ,उस क्षेत्र पर, जिसमें कि वह भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समयों पर, जैसा कि इस संहिता के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रज्ञापना भेजेगा।

113. लेखन सम्बन्धी गलतियों का शुद्धिकरण.- उपखंड अधिकारी; किसी भी समय, लेखन सम्बन्धी किन्हीं भी गलतियों को, तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को, जिनके कि सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार-अभिलेख में हुई हैं, शुध्द कर सकेगा या शुध्द करवा सकेगा

114. भू अभिलेख.- नक्शे तथा भू अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त, प्रत्येक गावं के लिये खसरा या क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू-अभिलेख, जो कि विहित किये जायं, तैयार किये जायेंगे

114.क. भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका.- (1) ऐसे प्रत्येक भूमि स्वामी, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किये गये खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्ट है, के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह किसी ग्राम में के अपने समस्त खातो के बारे में एक भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका रखे जो ऐसी फीस के जैसी कि विहित की जाय, चुकाये जाने पर उसे दी जायगी

(2). भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के दो भाग होंगे, अर्थात् भाग-1 जिसमें खाते पर के अधिकारों तथा खाते पर के विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेंसेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग-2 जिसमें खाते पर के अधिकार, खाते के बाबत भू-राजस्व की वसूली तथा खाते पर के विल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होगी:

(एक) खसरा या क्षेत्र पुस्तक की उन प्रविष्टियों में से, जो किसी भूमिस्वामी के किसी से सम्बन्धित हों, ऐसी प्रविष्टियाँ जो कि विहित की जायं;

अनुभाग अधिकारी 54
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म० प्र० शासन

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner